संख्या-666/2025/आई/1169263/23-1-25/003-23-1002(002)/298/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 35 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 35 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 22,83,93,000/- (रूपये बाईस करोड़ तिरासी लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 7,99,36,000/- (रूपये सात करोड़ निन्यानबे लाख छत्तीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु 0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631324	माधोपुर से सॅवरूबांध सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.400	56.23	19.68
2	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631325	शिवपुर अकबरपुर होते हुए शेर ग्राम तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	4.600	72.01	25.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु 0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	636658	बसन्तपुर से करनई सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.500	58.51	20.48
4	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631295	सोनौली बलिया से भरतपुरा अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.200	66.54	23.29
5	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	630156	सोनौली बलिया से भरतपुरा अकोल्हा होते हुए शुकुलपुरा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.300	45.47	15.91
6	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631131	सागरपाली आमडारी मार्ग से विकलांग भवन होकर बलिया गड़वार मार्ग तक विशेष मरम्मत का कार्य	2.400	45.26	15.84
7	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	630039	जसांव सोनवानी मार्ग शेर से पचफेडवा होते हुए छितौनी तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	63.91	22.37
8	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	634196	ग्राम वरूणा में धर्म चैधरी के टयूबेल से ग्राम मेघामठ डीह बाबा स्थान होते हुए पुरास तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	61.76	21.62
9	I/320864/ 2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलिया	630471	किडिहरा फत्तेपुर मार्ग मार्ग से सिधौली मघया सब्बदलपुर अररही लवटू का पुरा वैश्यक की बारी होते हुए बहोरवा तक मार्ग	10.000	238.73	83.55
10	I/320864/ 2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलिया	6302529	भीमपुरा रतनपुरा से बराइच मार्ग	1.800	47.20	16.52
11	I/327674/ 2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बलिया	637005	तुर्तीपार से टंगुनिया सोनाडीह मंदिर होते हुए मऊ बार्डर तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	4.750	85.71	30.00
12	I/344777/ 2025 date 15/11/2025	प्रा.ख. बलिया	635951	चाड़ी सरयां सम्भल से सरया गुलाबराय मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	85.00	29.75
13	I/320864/ 2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलिया	634190	बुढ़ऊ ग्राम में मुन्ना सिंह के घर के सामने से वीरपुर गांव तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	77.22	27.03
14	I/320864/ 2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलिया	635929	रसड़ा पाकड़बोझ मार्ग से राजभर बस्ती होते हुए जोगीवीर बाबा तक समपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.300	41.03	14.36
15	I/366420/ 2025 dt 03.12.25	प्रा.ख. बलिया	630246	रसड़ा कोटवारी से रामपुर हरिजन बस्ती तक मार्ग का विशेष मरम्मत	1.700	43.26	15.14

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु 0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
16	I/366420/ 2025 dt 03.12.25	प्रा.ख. बलिया	636996	चिलकहर टीकादेवरी मार्ग कल्याणीपुर से फतेहपुर होते हुए गौरा मन्नेपुर तक अ0जि0मा0 का विशेष मरम्मत का कार्य	5.000	69.15	24.20
17	I/327674/ 2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बलिया	636438	रतसड़ एकइल मार्ग से मड़ई होते हुए बहेरा तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.700	51.43	18.00
18	I/327674/ 2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बलिया	630999	हथौज बालूपुर मार्ग से हथौज नहर की पटरी पलकधारी के पुरा होते हुए भूड़ाडीह फिरोजपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	4.000	70.81	24.78
19	I/344777/ 2025 date 15/11/2025	प्रा.ख. बलिया	630334	कसेसर देवलवीर मार्ग से रवकलपुर सपही एकभिटिया ताड़ीबड़ागांव तक मार्ग का विशेष मरम्मत	6.200	83.15	29.10
20	I/366420/ 2025 dt 03.12.25	प्रा.ख. बलिया	UP63VR0525	नवानगर से चाड़ी होते हुए महरो मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.100	49.68	17.39
21	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	634137	दुलारपुर बसनिया से पुन्नीपुर मार्ग	2.000	77.16	27.00
22	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	635694	गडवार सुखपुरा से खडैचा होते हुए घोसवती तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	48.88	17.11
23	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631029	बघौना दुलारपुर से चुरैली अम्बे0 ग्राम का का विशेष मरम्मत का कार्य	2.000	63.29	22.15
24	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. बलिया	631583	करंजा दरियापुर से चैरा सलेमपुर मार्ग का का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	96.54	33.79
25	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. मऊ	620376	सुग्गी चौरी से हाटा होते हुए बरहज घाट सम्पर्क मार्ग पर सीसी का कार्य। चैनेज 1.400 - 2.110	0.710	42.02	14.71
26	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. मऊ	624225	सुग्गी चौरी बरहज से डाडी सम्पर्क मार्ग का सीसी सहित विशेष मरम्मत का कार्य। चैनेज 0.000 - 2.100	2.100	50.70	17.75
27	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. आजमगढ़	612119	लहुआ कला सम्पर्क मार्ग।	2.250	49.40	17.29
28	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख. आजमगढ़	615919	जमुई लरबर यादव के घर से मेंहनाजपुर सम्पर्क मार्ग।	2.900	44.11	15.44
29	I /366428/ 2025 date 03.12.25	प्रा.ख. आजमगढ़	614067	रजादेपुर अजमतगढ़ कि0मी0 2 से अम्मा आईमा होते हुये बरडीहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य ।	6.500	108.29	37.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु 0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
30	I /366428/ 2025 date 03.12.25	प्रा.ख. आजमगढ़	611529	ताहिरपुर सी०सी० रोड से बक्सीपुर होते हुए देवरिया पिच तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य ।	3.100	49.80	17.43
31	I /366428/ 2025 date 03.12.25	प्रा.ख. आजमगढ़	616711	आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग के कि0मी0 25 से ग्राम जमींन हरखोरी (धनछुला) ताल सलोना बांध होते हुये अम्मा आईमा सम्पर्क मार्ग।	2.400	41.38	14.48
32	I /366428/ 2025 date 03.12.25	प्रा.ख. आजमगढ़	610941	कप्तानगंज महराजगंज मार्ग से कुम्हावत सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य ।	2.600	41.20	14.42
33	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख.-2 आजमगढ़	612974	ईश्वरपुर सम्पर्क मार्ग।	2.200	53.87	18.85
34	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख.-2 आजमगढ़	612456	संजरपुर.छाँऊ से परशुरामपुर मार्ग।	3.450	49.60	17.36
35	I /366428/ 2025 date 03.12.25	नि.ख.-2 आजमगढ़	613036	दीदारगंज.मार्टिनगंज रोड से ग्राम.करूवी तक सम्पर्क मार्ग।	4.000	55.63	19.47
					कुल योग-	**2283.93**	**799.36**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 7,99,36,000/- (रूपये सात करोड़ निन्यानबे लाख छत्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-666/2025/आई/1169263(1)/23-1-25/003-23-1002(002)/298/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।